न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 64/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 धीसा पिता कानां कुमावत उम्र–वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

.... प्रार्थी

बनाम

1 ईश्वर पिता लादू खाती उम्र–वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
2 दिनेश कुमार पिता रामेश्वर खाती उम्र–वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
3 रामपाल पिता लादू खाती उम्र–वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
4 सुरेश पिता लादू खाती उम्र–वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
5 सेवाराम पिता लादू खाती उम्र–वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
6 गोपाल पिता सजना नाई उम्र–वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
7 मोहन पिता सजना नाई उम्र–वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
8 रामस्वरूप पिता सजना नाई उम्र–वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
9 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा फूलियाकलां जिला शाहपुरा राज.
10 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री शिवराज शर्मा——— प्रार्थी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

अनुपस्थितः–
श्री विजय पाराशर ————अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 अधिवक्ता
शेष अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 09 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 15.05.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 20.04.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा बडला पटवार मण्डल क्षेत्र बडला तहसील फुलियाकलां स्थित खसरा संख्या 48 प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थी की खातेदारी खसरे में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थी वर्षो से अप्रार्थीगण के सहखातेदारी खसरान में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 की आराजी संख्या 32, 33, 34, 2090/49, 49 की मेड के सहारे सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार कराया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के

सहायक कलेक्टर
एवं [illegible] अधिकारी
फुलियाकलां [illegible]-शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner

हक स्वामित्व की खसरान संख्या 32, 33, 34, 2090/49, 49 भूमि में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किये जाने की ईस्तदुआ की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 25.04.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे रेकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थी संख्या 06 से 09 विधिवत रूप से सूचित होने के उपरान्त भी सुनवाई पर गैरहाजिर रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी क्रम 01 से 05 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का वर्षो से अप्रार्थीगण के खसरे से आवागमन का कथन असत्य है। प्रार्थी के पास मौके पर वैकल्पिक मार्ग पहले से ही मौजूद है, जिसका उपयोग प्रार्थी वर्षो से करता चला आ रहा है। जवाबदाता के खसरान में से न तो वर्तमान में कोई रास्ता निकल रहा है न ही कभी निकला था। 20 फीट नवीन रास्ता कायमी का यह झूंठा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो न्याय संगत नही है। शुरूवात से ही प्रार्थी की वैकल्पिक मार्ग से बिना किसी बाधा/रूकावट के आवाजाही रही है।

यदि प्रार्थी को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थीगण को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही इससे अप्रार्थीगण का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी सव्यय खारीज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार फुलियाकलां ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। तहसीलदार द्वारा मौजा बडला प.ह.क्षेत्र बडला स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 के सहखातेदारी खसरान संख्या 32 रकबा 0.38 में से 0.0181 हैक्टयरं (3 चौडाई/60 वर्गमीटर), आराजी संख्या 33 रकबा 0.41 में से 0.0120 हैक्टयर (3 चौडाई/40 वर्गमीटर), आराजी संख्या 34 रकबा 0.99 में से 0.0042 हैक्टयर (7 चौडाई/6 वर्गमीटर), अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 08 के स्वामित्व की आराजी संख्या 2090/49 रकबा 0.38 में से 0.0210 हैक्टयर (3 चौडाई/70 वर्गमीटर), संख्या 49 रकबा 0.30 में से 0.0096 हैक्टयर (3 चौडाई/32 वर्गमीटर) कुल प्रभावित रकबा 0.0648 हैक्टयर (648 वर्गमीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

सहायक कलेक्टर
एवं ... ारी
फु.क. ... ला-शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है। वैकल्पिक मार्ग का होना एवं रास्ता सुचारू एवं निकटतम होना जवाबदाता ने राजस्व नक्शे के माध्यम से पूर्णतया साबित नही किया है।
2. प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।
3. रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है।
4. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।
5. रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक में प्रस्तावित मार्ग के दर्शित किए गये नजरी नक्शे अनुसार आराजी संख्या 34 के दक्षिणी पूर्वी छौर पर चौकोर आकृतिनुमा हिस्से को प्रयुक्त किए जाने वाले मार्ग के लिए प्रभावित किया जाना बताया है जबकि प्रार्थी प्रभावित क्षेत्रफल के आधे हिस्से में से भी निर्बाध आवागमन कर सकता है, बचा हुआ आधा हिस्सा निर्हेतुक प्रकट होता है। लिहाजन न्यायालय प्रस्तावित चौकोर आकृतिनुमा के स्थान पर त्रिकोण नुमा हिस्से को ही रास्ते के रूप में स्वीकृत करता है। अर्थात आराजी संख्या 34 रकबा 0.99 में से 0.0042 हैक्टयर के स्थान पर रकबा 0.0021 (21 वर्गमीटर) हैक्टयर क्षेत्रफल ही रास्ते के रूप में प्रयुक्त किया जावेगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थीगण को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के मुकाबले प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 06 मीटर के स्थान पर 4.57 चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा बडला प.ह.क्षेत्र बडला स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 के सहखातेदारी खसरान संख्या 32 रकबा 0.38 में से 0.0137 हैक्टयर (2.285 चौडाई/60 वर्गमीटर), आराजी संख्या 33 रकबा 0.41 में से 0. 0091 हैक्टयर (2.285 चौडाई/40 वर्गमीटर), आराजी संख्या 34 रकबा 0.99 में से 0.0021 हैक्टयर (21 वर्गमीटर), अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 08 के स्वामित्व की आराजी संख्या 2090/49 रकबा 0.38 में से 0.0160 हैक्टयर (2.85 चौडाई/70 वर्गमीटर), संख्या 49 रकबा 0.30 में से 0.0073 हैक्टयर (2.285 चौडाई/32 वर्गमीटर) कुल प्रभावित रकबा 0.0483 हैक्टयर (483 वर्गमीटर) का नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा बडला प.ह.क्षेत्र बडला स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 के सहखातेदारी खसरान संख्या 32 रकबा 0.38 में से 0.0137 हैक्टयर (2.285 चौडाई/60 वर्गमीटर), आराजी संख्या 33 रकबा 0.41 में से 0.0091 हैक्टयर (2.285 चौडाई/40 वर्गमीटर), आराजी संख्या 34 रकबा 0.99 में से 0.0021 हैक्टयर (21 वर्गमीटर), अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 08 के स्वामित्व की आराजी संख्या 2090/49 रकबा 0.38 में से 0.0160 हैक्टयर (2.85 चौडाई/70

Scanned with OKEN Scanner

वर्गमीटर), संख्या 49 रकबा 0.30 में से 0.0073 हैक्टयर (2.285 चौडाई/32 वर्गमीटर) कुल प्रभावित रकबा 0.0483 हैक्टयर (483 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल-दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 32, 33, 34, 2049/49, 49 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0483 हैक्टेयर (483 वर्गमीटर) मालियत राशि की तीन गुना राशि कुल 29,348/-रूपये अदायगी कर दी जावेगी/राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला, शाहपुरा